वार्षिक प्रगति रिपोर्ट अप्रैल 2016 से मार्च 2017

राजसमन्द जन विकास संस्थान

राजसमन्द महिला मंच

संपर्क:

महिला विकास केंद्र, नाथद्वारा रोड, सोमनाथ चौराहा, कांकरोली - 313324, जिला राजसमन्द, (राजस्थान) भारत

e-mail : rjvs10@yahoo.in, Telephone – Landline +91-(2952)221909

Website : www.rjvs.org.in, Facebook: Rajsamand Jan Vikas Sansthan

राजसमन्द जन विकास संस्थान – सर्वजन के लिए विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए भागीदारी न्याय, सम्मान व् समानता युक्त समाज का निर्माण करना |

उद्देश्य –

1. विकास की प्रक्रिया में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और महिला हिंसा को दूर करना |
2. गाँव, तहसील, और जिला स्तर पर महिलाओं और युवाओं को संगठित कर शक्तिशाली बनाना |
3. महिला हिंसा के वास्तविक कारण जैसे – बाल- विवाह, नाता, दहेज़, डायन प्रथा, अशिक्षा और अन्य सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए जानकारी प्रदान करना है |
4. गरीब महिलाओं और युवाओं के आर्थिक विकास व् आय संवर्धन के लिए कार्यक्रम चला कर उन्हें सशक्त करना है |

राजसमन्द महिला मंच –

उद्देश्य –

1. महिलाओं और युवाओं को स्वयं की संगठनात्मक ताकत बनाना |
2. हक़ और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर नीतिगत बदलाव की प्रक्रिया के लिए अभियान चलाना |
3. महिलाओं और युवाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाना |
4. समस्या समाधान के लिए जिला-स्तरिय मंच प्रदान करना |

दृष्टि-

1. ऐसे समाज का निर्माण करना जो समान अवसर, न्याय, समानता और सभी महिलाओं और युवाओं के लिए सम्मान सुनिश्चित करता है |

वर्तमान में संस्था द्वारा छः परियोज़ना संचालित् की जा रही है -

1. जागृति - किशोर/ किशोरी सशक्तिकरण पर AJWS द्वारा
2. महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र- महिला अधिकारिता राज्य सरकार द्वारा
3. शैक्षणिक अनुदान- छगनलाल स्वरुपचंद चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा
4. हुंकार- actionaid जयपुर द्वारा
5. नारी अदालत- महिला मंच संगठन द्वारा
6. बाल-विवाह रोकथाम - गर्ल्स नॉट ब्राइड

राजसमन्द जिले में राजसमन्द महिला मंच महिलाओं का एक बड़ा संगठन है जिसकी नीव वर्ष 1998 में राजसमन्द जिले में राखी गयी | इससे पहले जिले में एसी कोई संस्थान नहीं है जो कि महिलाओं के मुद्दे पर काम कर रही हो | शुरुआत आस्था संस्था के सहयोग से जिले के एक ब्लाक से की गयी | धीरे धीरे इसमें महिलाये जुड़ने लगी और अपने हक़ व् अधिकारों पर चर्चाए करने लगी | ये वो समय था जब महिलाये अपनी पीड़ा समस्या समाधान के लिए घर से बहार नहीं निकलती थी और न ही गाँव से तहसील या जिले तक आने के उपयुक्त संसाधन थे तब राजसमन्द महिला मंच महिलाओं के लिए अँधेरे में एक दिए के समान था जिसकी रोशनी में उन्हें घर से बहार निकलने के लिए हिम्मत प्रदान की और अपनी जैसी अनेक महिलाओं के साथ जुड़ कर उन महिलाओं में हिम्मत और आत्मविश्वास पैदा हुआ और एक के बाद एक अन्य सभी तहसील की महिलाये उनके साथ जुड़ने लगी | अब ये संगठन जिले में एक मजबूत संगठन है और इसमें हजारों महिलाए जुड़ रही है |

संगठन निर्माण का **मुख्य उद्देश्य** महिलाओं की ताकत को स्वयं को समझना और एक दुसरे की समस्याओं में साझा रूप से भागीदारी निभाकर महिलाओं को उनके हक व् अधिकार दिलाकर जागरूक करना है | संगठित महिलाओं को आगे तक ले जाने और महिलाओं के मुद्दों पर जानकारी रखकर अन्य महिलाओं को भी जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में राजसमन्द जन विकास संस्थान की स्थापना की गई | संस्था में मुख्य रूप से महिलाये ही सदस्य है और अपनी-अपनी भूमिकाए निभा रही है |

वर्ष 2008 में संस्थान को महिला प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता हुई | जिसे सरकार के सामने रखा गया | सरकार द्वारा संगठन को जमीन देकर तथा जापान द्वारा फण्ड देकर वर्ष 2015 में महिला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई | आज इसी केंद्र में सरकार द्वारा कई परियोजना संचालित की जा रही है | संस्था द्वारा परियोजनाओ के साथ – साथ जिले, राज्य व् राष्ट्र में महिला हक़ के मुद्दों पर भी कार्य किया जा रहा है ताकि क्षेत्र की महिलाओं को अन्य क्षेत्र, राज्य की महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी प्राप्त हो सके और उनके सम्मान व् न्याय के लिए भी आवाज़ उठा सके |

1. **जागृति परियोजना –**

❖ **परिचय**- यह परियोजना वर्ष 2015 सितम्बर से शुरू हुई | संस्था द्वारा तीन ब्लाक के 10 गाँवों में कार्य किया जा रहा है जहा पर बाल-विवाह करने वाली जातियों के द्वारा बड़े उम्र के बच्चे के साथ परिवार में सभी उम्र के बच्चों का बाल- विवाह कर दिया जाता है | इस परियोजना में कार्य करने के **उद्देश्य** निम्न है –

❖ **उद्देश्य**-

1. युवा बाल विवाहित महिलाओं और होने वाली संतानों के स्वास्थ्य में सुधार लाना |
2. युवा बाल विवाहित महिलाओं को जागरूक करना |
3. इच्छा अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना |
4. जल्द/ बाल-विवाह और इसी अन्य कुरीतियों में कमी लाना |
5. किशोर – किशोरियों को समूह के द्वारा सशक्त करना |

❖ **गतिविधिया –**

1. **संपर्क द् परियोजना पर गाँवों में जानकारी देना** - गाँवों में किशोर – किशोरियों की स्थिति का पता कर उस परिवारों से संपर्क करना और संपर्क के माध्यम से किशोर-किशोरियो का समूह निर्माण करना एवं गाँवों में प्रमुख महिला, पुरुष, सरपंच, वार्डपंच के साथ बैठके रखकर परियोजना का उद्देश्य बताना व् प्रचार-प्रसार करना |

गाँव की बैठक के माध्यम से बाल-विवाह कानून की जानकारी देकर जागरूक करना ।

2. संपर्क एवं परियोजना के प्रचार-प्रसार के साथ **किशोर- किशोरियों समूह निर्माण** का कार्य किया गया जिसमे करीब चार माह लग गए | उसके साथ ही 10 गाँव के 10 स्कूल एवं जिले के 5 कॉलेज में युवाओं के साथ सत्र **(जुलाई से सितम्बर तक)** लिए गए और उनके बाल-विवाह से होने वाले नुकसान पर जानकारी प्राप्त कर उन्हें कानून की व्यापक जानकारी देकर चर्चा की गयी तथा किशोर- किशोरी का नेतृत्व व् सहयोग देने पर आह्वान किया गया |

स्कूल में किशोर-किशोरियों को बाल-विवाह और जेंडर के विषय संस्थान के कार्यकर्ता द्वारा जानकारी देते हुए ।

बाल- विवाह नहीं करने और रोकने की शपथ लेते हुए कॉलेज के विद्यार्थी

जिले के कॉलेज में किशोर-किशोरियों के साथ बाल-विवाह और जेंडर विषय पर सत्र लेते हुए।

बदलाव –

→ इस कार्यशाला को रखने के पश्चात कई पिता की मानसिकता में बदलाव आया |
→ पुत्रियों का भी अपने पिता से हो रहा सकोच दूर हुआ |
→ पुत्रियों के चहरे पर आशा नजर आना |

4. **आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण** – संस्था द्वारा बेटियों को किसी भी परिस्थिति मे स्वयं की रक्षा कैसे की जाए इसके गुर सिखाने क लिए जिला पुलिस विभाग से सहयोग प्राप्त कर तीन महिला कमांडो द्वारा गाँव की युवतियों व् किशोरियों को आत्म-सुरक्षा का प्रशिक्षण दिलवाया गया | किशोरियों एवं युवतियों द्वारा इसमे स्वयं की इच्छा से भागीदारी निभाई गई और प्रशिक्षण प्राप्त किया | यह पशिक्षण तीन दिवसीय (9.6.2016 - 11.6.2016) था जिसमे 10 गाँव की 40 किशोरियों व् युवतियों ने भाग लिया |

युवा मंच की किशोरियों द्वारा महिला पुलिस प्रशिक्षक से आत्म- सुरक्षा पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए |

बदलाव-

→ किशोरी व् युवतियों के आत्म- विश्वास में वृद्धि होना |

5. **किशोरियों का तीन दिवसीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण-** दिनांक- 25.6.2016- 27.6.2016 को किशोर एवं किशोरियों का रखा गया | प्रशिक्षण रखने का मुख्य उद्देश्य कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के किशोर व् किशोरियों को कानूनी, कल्याणकारी योजनाओ, बाल-विवाह से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, जेंडर द्वारा समाज में व्याप्त लड़का/लड़की में भेदभाव को समझाना था ताकि वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में अपनी निर्णय शक्ति को सशक्त कर सके | इस कार्यशाला में संदर्भ देने के लिए उदयपुर की स्वास्थ्य व् जेंडर विषय विशेषज्ञ शशि प्रभा तथा राजसमन्द में स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत अर्जुन चौधरी और कानून जानकारी हेतु एड्वोकेट वर्षा पालीवाल तथा योजनाओं पर जानकारी देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अधिकारी महोदय को बुलाया गया | सभी संदर्भ व्यक्ति द्वारा विषयों पर खेलों व् चित्रों के माध्यम से समझाया गया | इस प्रशिक्षण 10 गांवों के 35 किशोर- किशोरियों ने भाग लिया |

तीन दिवसीय किशोरी क्षमतावर्धन आवासीय प्रशिक्षण |

तीन दिवसीय किशोर क्षमतावर्धन आवासीय प्रशिक्षण |

बदलाव –

→ अपने अधिकारों के बारे में समझ बनी |

→ घर से बहार तीन दिन रहने की अनुमति प्राप्त होना |

→ परिवारों में बाल- विवाह नहीं होने देना |

6. **जातिपंचो के साथ बैठके (27.7.2016)** – बैठक में नाता प्रथा व् बाल-विवाह के उपर चर्चा की गई | इस बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मान्धाता सिंह जी ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जिसके द्वारा बालक और बालिकाओं की शिक्षा में बढ़ोतरी हो सकती है और बड़ी उम्र में शादी करने से सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठा सकते है | इस बैठक में जाट, कुमावत, सालवी, सेन और खटीक समाज के जाति- पंच अध्यक्षों ने भाग लिया | ज्यादातर जातियों में जहां बाल-विवाह किये जाते है उनमे उनके जाति पंचो की भूमिका अहम् होती है | अगर बाल-विवाह के कारण परिवारों में कुछ विवाद हो जाता है उसका निपटारा भी जाति- पंचों की बैठकों में ही किया जाता है | जाति- पंचों की समाज में अहम् भूमिका होने के कारण संस्था एवं परियोजना के अंतर्गत उनकी मानसिकता में बदलाव आने के लिए प्रयास किये जा रहे है

| इसके के लिए जिले में प्रत्येक अमावस्या को जाति-पंचों की बैठक में कार्यकर्ता द्वारा भाग लेकर उनसे चर्चाए की जाती है |

बाल-विवाह और नाता प्रथा को बंद करवाने के लिए अलग-अलग जाति पंचों के साथ बैठक |

बदलाव :

→ जाति- पंचो का कार्यशाला में भागीदारी निभाना |

→ कुछ नियमों में बदलाव लेन की प्रक्रिया शुरू करना |

7. **जेंडर प्रशिक्षण** - AJWS की सहभगी संस्था निरंतर जो कि जेंडर के विषय पंर प्रशिक्षण देते है उनको दिनांक 13.9.2017-14.9.2017 को राजसमन्द जन विकास संस्थान के महिला प्रशिक्षण के केंद्र पर किशोर/ किशोरियों को बुलाकर 2 दिवसीय जेंडर पर प्रशिक्षण निरंतर की महिला सहभागी द्वारा दिया गया | जिसके अंतर्गत लड़कियों की जेंडर पर समझ बना गई ताकि वे इस मुद्दे को समझकर अपनी जिन्दगी में कुछ एक्सचे निर्णय ले सके| जैसे - शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल- विवाह नहीं करना इत्यादि |

निरंतर संस्था द्वारा 2 दिवसीय जेंडर पर प्रशिक्षण देकर किशोरियों की समझ बनाना |

प्रभाव :

ऐसे मुद्दों पर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि समाज में हमारे साथ कैसा भेद- भाव होता है | अब हम अपने जीवन में कुछ अच्छे निर्णय ले सकेंगे जिससे कि हमारा भविष्य उज्जवल बन सके |

8. **युवा महोत्सव (जागृति):** राजसमन्द जन विकास संस्थान के जागृति कार्यक्रम के अंतर्गत 29 सितम्बर 2016 को किशोर और किशोरियों द्वारा युवा महोत्सव कार्यक्रम किया गया | कार्यक्रम रखने का मुख्य उद्देश्य किशोर/ किशोरियों द्वारा वर्ष-भर में किये गये कार्यों को प्रस्तुत करना था और उनमे आये बदलाव को लोगों के सम्मुख रखना था | कार्यक्रम में नाटक, गीत एवं नृत्य द्वारा प्रस्तुति दी गई | जिसे सभी लोगों ने खूब सराहा | कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जे.के.टायर के वाईस प्रेसिडेंट श्रीमान श्रीवास्तव सा. और

महाप्रबंधक श्रीमान अनिल मिश्रा जी थे | अध्यक्षता चेयरमेन श्रीमान सुरेश पालीवाल द्वारा निभाई गई | कार्यक्रम में बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा | उनमे स्फूर्ति व् जागृति को दखा गया | साथ ही उनको जो संकोच हो रहा था वो दूर हुआ है |

युवा महोत्सव के कार्यक्रम में किशोर- किशोरी भाग लेते हुए |

9. **शादी-शुदा 25 वर्ष तक की महिलाओं की स्वास्थ्य पर कार्यशाला –** संस्था द्वारा एसी युवतियाँ जिनका बाल- विवाह हो गया है और वो गर्भ धारण किए हुए है या उनके बच्चे है उनके साथ एक-एक दिवसीय दो प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया | इस कार्यशाला में प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरांत जच्चा/ बच्चा स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जिला अस्पताल से आमन्त्रित किया गया | संदर्भ देने आई डॉ द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बंधित स्वच्छ रहने के लिए जानकारी प्रदान करी | इसमें क्षेत्र की 22 युवतियों ने भाग लिया |

10. **गाँवों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का संचालन –** संस्था द्वारा कार्यरत क्षेत्र में किशोर/ किशोरियों एवं महिलाओं के लिए एक दिवसीय (16.12.2016) स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया | ज्यादातर महिलाये और किशोरी अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं होती है तथा कई बार संकोच वश भी वो अपनी समस्या नहीं बता पाती है | इसी स्थिति में वो कई बार कुपोषण, एनीमिया एवं अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित हो जाती है | अतः वो कैसे अपनी बिमारियों में सावधानी रखकर व् अच्छे खान- पान व् दवाई द्वारा समस्या का निदान कर सके इस उद्देश्य से गाँवों में डॉ श्रीमान विजय खिलनानी सा. के द्वारा शिविर लगाये गये | शिविरों में कुल 60 किशोरियों व् महिलाओं को चिह्नित कर दवाए देकर लाभ दिलवाया गया |

गाँव में महिलाओं के साथ जागरूक बैठक |

गाँव में किशोरियों के साथ शिक्षा, जेंडर और बाल- विवाह पर समझ बनाते हुए |

2. महिला- सलाह सुरक्षा केंद्र – थाना जिला राजसमन्द

❖ **परिचय** – राजसमन्द जन विकास संस्थान को वर्ष 2015 में महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान , जयपुर से अक्टुम्बर 2015 में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र को संचालन का कार्य प्राप्त हुआ | जिसका उद्देश्य हिंसा, प्रताड़ना, उत्पीडन से ग्रस्त महिलओ एवं बालिकाओं को संबल प्रदान करना था जिससे वो अपने अधिकारों व् हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा सके और हिंसा से मुक्ति प्राप्त कर सके | इसका संचालन जिले के महिला थाने के अंतर्गत किया जा रहा है | जहाँ संस्था द्वारा दो परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है जो केंद्र पर अब तक शारीरिक, मानसिक हिंसा, यौनिक हिंसा से पीड़ित महिलाऐ, किशोरी एवं युवतियाँ आकर अपनी समस्याए बताती है और केंद्र द्वारा परामर्श एवं कानूनी कार्यवाही द्वारा उनको मदद प्रदान की जाती है |

उद्देश्य -

- महिलाओं के साथ हो रही हिंसा में उचित सहयोग , मार्गदर्शन व कार्यवाही करना
- महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना
- महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना

थाना परिसर में महिला को न्याय दिलवाते हुए परामर्शदाता ।

महिला- सलाह सुरक्षा केंद्र में केस को सुलझाते हुए ।

इस वर्ष कुल केस रजिस्टर्ड- 266

कुल केसों के फैसले हुए- 254

कुल केस प्रक्रिया – 12

केसों का वर्गीकरण

क्रम संख्या	SC	ST	OBC	सामान्य	अल्पसंख्यक	कुल
1.	73	30	111	41	11	266

3. हुंकार कार्यक्रम –

❖ **परिचय** – राजसमन्द जन विकास संस्थान द्वारा वर्ष 2017 में Action-aid नाम की संस्थान जो कि गरीब, दलित, अल्प संख्यक लोगों के साथ कई देशों में काम करती है | उनके साथ महिला हिंसा के ऊपर विशेष रूप से डायन, और नाता प्रथा पर राजसमन्द जिलें में अन्य जिलों की संस्थाओ के साथ सहभागिता निभाकर राज्य स्तर पर इन मुद्दों पर बने हुए कानून को लागू कराने के लिए कार्य कर रही है | इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संगठित कर उनको सशक्त करना है | एवं उनके साथ होने वाले अमानवीय व्यवहारों को दखते हुए उन पीड़ित और शोषित महिलाओं को न्याय व् सम्मान दिलाने के लिए हुंकार कार्यक्रम द्वारा शुरुआत की जा रही है | जिसका केंद्र बिंदु वो महिलाये है जिनको समाज में "डाकन" के रूप में परिभाषित किया जाता है या "नाता" के नाम से समाज में उनका मौल-तौल लगाया जाता है | इस कार्यक्रम में अन्य जिलों की संस्थाओं (महिला जन अधिकार समिति, एकल नारी शक्ति संगठन, आस्था संस्थान, आदिवासी महिला जागृति संगठन, आदिवासी विकास संगठन) से प्रतिनिधियों ने भाग लेकर उनके जिले में महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की |

संस्था द्वारा एसी महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हीं क्षेत्रों को चुना गया जहाँ इस तरह की हिंसा महिलाओं के साथ ज्यादातर की जाती है | इसके पश्चात राजसमन्द जन विकास संस्थान द्वारा राजसमन्द जिले के राजसमन्द और केलवाड़ा तहसील के 5 गाँवों (केलवा, डांग का वास, धोरण, मोरचा और मेणादर का भीलवाडा) में इस कार्यक्रम को करने की जानकारी प्रदान की क्योंकि इन क्षेत्रों में इस तरह की प्रथाओं का प्रचलन ज्यादा है |

उद्देश्य-

- महिलाओं और किशोरियों को महिला हिंसा के प्रति जागरूक करना |
- समूह के प्रति आत्मविश्वास और आत्मीयता का निर्माण |
- महिला हिंसा कारणों की पहचान करना और उन महिलाओं के साथ मिलकर समस्याओं पर चर्चा कर समाधान निकालना |
- महिलाओं और किशोरियों का क्षमता वर्धन करना |

- महिलाओं व् लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना |

जिलों की अन्य संस्थानों के लोगों के साथ आगमी आयोजना बनाना |

4. **सेठ छगनलालस्वरुप चन्द्र ट्रस्ट-** राजसमन्द जन विकास संस्था को वर्ष 2000 से ही गरीब, मेघावी, अनुसूचित जाति व् जनजाति के बच्चों के लिए शैक्षणिक अनुदान प्राप्त हो रहा है | बच्चों को शैक्षणिक सामग्री, फीस, ड्रेस इत्यादि के लिए अनुदान दिया जा रहा है | इस अनुदान से अब तक करीब 364 बच्चे लाभान्वित हो चुके है और शिक्षा प्राप्त कर कुछ बच्चे सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में आजीविका से जुड़ गये है |
इन बच्चों को कक्षा 7th से जब तक पढाई ख़त्म नहीं होती है तब तक अनुदान दिया जाता है |

नारी अदालत की महिलाओं द्वारा केस की सुनवाई कर उसे सुलझाते हुए |

इस वर्ष नारी अदालत में कुल केस आये 42

इस वर्ष नारी अदालत में कुल फैसले हुए 21

इस वर्ष नारी अदालत में कुल प्रक्रिया 9

इस कार्य में केस का पंजीकरण , परामर्श, कानूनी कार्यवाही के साथ- साथ, पुलिस प्रशासन व् कोर्ट से भी कभी- कभी सहयोग प्राप्त किया जाता है |

राजसमन्द जिले में मंच की अच्छी पहचान होने से अन्य जिलों व् राज्यों जैसे- भीलवाडा, जोधपुर, चितौड़, बम्बई, सूरत, लखनऊ इत्यादि से भी केस आते है | ये वो केस है जहाँ राजसमन्द की लडकियाँ इन राज्यों में रह रही है |

→ पीडिता को मंच में, ऑटो वाले मीडिया, प्रशासन वकील, राजनेता इत्यादि भी भेज देते है |

→ नारी अदालत की बैठके प्रत्येक माह की 2 व् 20 तारीख को होती है | इसमें इस माह और पूर्व के प्रक्रिया वाले केसों पर चर्चा व् कार्यवाही की जाती है |

❖ अन्य- विशेष कार्य और उपलब्धियाँ –

1. पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम -

→ **YES बैंक द्वारा पर्यावरण बचाने पर सहयोग**: राजसमन्द जिले के YES बैंक द्वारा वर्ष 2016 के अंतर्गत पर्यावरण सुधार और polythine थैली के दुष्परिणाम एवं कपडे की थैली के उपयोग हेतु आर्थिक रूप से 5000 रूपये का अनुदान दिया गया | जिसके द्वारा महिलाओं को कपडे की थैली बनाकर बजार में बचने के लिए प्रोत्साहित किया गया | जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सके इसके लिए बजार में रेली निकाल कर दुकानदारो को पोलिथीन का उपयोग बंद करके कपडे की थैली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया |

पर्यावरण दिवस पर "YES BANK" के साथ पर्यावरण सुधार के लिए बैठक करते हुए ।

आजीविका - अपने हुनर का विकास , जीविका के लिए खास ।

प्रभाव :

- महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बदलाव |
- पर्यावरण के प्रति जागरूकता |

→ **आजीविका प्रशिक्षण** – किशोर एवं किशोरियों द्वारा अपने अपने समूह में यह मांग रखी गयी की उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ प्रशिक्षणों की आवश्यकता है जिसे देखते हुए उनके गाँवों में ही उनकी इच्छानुसार, मेहंदी, सिलाई एवं शिक्षा में सहयोग देने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए गये | यह शिविर 1 माह तक लगाये गये जिसमे समूह के किशोरे व् किशोरियों ने भाग लिया |

उद्देश्य- किशोरियों की प्रतिभा का विकास एवं आजीविका मै सहयोग तथा पढाई से सम्बंधित कठिनाइयो का समाधान करना था |

बदलाव-

→ किशोर व् किशोरियो की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है |
→ निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो रहा है |
→ दबाव से मुक्ति मिल रही है |

→ **समाज कल्याण विभाग द्वारा महिला कल्याणकारी सप्ताह मनाना** - राजसमन्द महिला मंच की बहिनों व् किशोरियों के साथ 5 अक्टूबर को संस्था के महिला प्रशिक्षण केंद्र पर कल्याणकारी सप्ताह का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं राजसमन्द महिला मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया | इसमें करीब क्षेत्र की 43 महिला एवं किशोरियों ने भाग लिया | कार्यक्रम में महिलाओं और किशोरियोंसे सम्बंधित सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी |

प्रभाव :

- योजनाओं की जानकारी प्राप्त होने से जिन्दगी में बदलाव आना |

- योजनाओं के प्रति जागृत होना |

→ **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजन –** राजसमन्द महिला मंच और महिला अधिकारिता विभाग राजसमन्द के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन दिनांक 8 मार्च को राजसमन्द में किया गया | कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और जिले में नाता – प्रथा से पीड़ित महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना था | कार्यक्रम में जाति पंचो, विभागीय अधिकारियों एवं क्षेत्र की करीब 700 महिला, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनो ने भागीदारी निभाई | कार्यक्रम में वर्ष भर में श्रेष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को पुरूस्कार देकर जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया | कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अर्चना सिंह थी एवं विशिष्ठ अतिथि पुलिस अधीक्षक जिला प्रमुख एवं अन्य विभागों के विभागीय अध्यक्ष थे | राजस्थान के मानव अधिकार की सचिव **कविता श्रीवास्तव** द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई | कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने-अपने विचार रखे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई |

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सहभागी भाग लेते हुए और श्रेष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करते हुए ।

विशेष : दिनांक 18 अगस्त 2016 को जिला पुलिस विभाग द्वारा मंच की बहिनों को आमंत्रित किया गया और **रक्षा बंधन** पर रखी का कार्यक्रम आयोजित किया गया | मंच की करीब 20 महिला और किशोरियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर पुलिस अधीक्षक विष्णुकान्त सहित अन्य सभी पुलिस विभाग के असफर और कर्मचारियों को राखी बांधकर उनसे महिलाओं को थाने में आने पर सम्मान देने एवं उनकी सुरक्षा के लिए शपथ दिलवाई गई | रक्षाबंधन पर्व पर पुलिस विभाग द्वारा समस्त महिलाओं का मिठाई खिला कर स्वागत किया गया | यह कार्यक्रम जिला एवं ब्लाक स्तर के सभी थानो में किया गया |

जिला के SP के आदेश पर पुलिस अधिकारियों और जवानो के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया |

प्रभाव :

- पुलिस के साथ महिला संस्थान के मैत्रीपूर्ण संबंध बनना |
- महिलाओं का पुलिस के प्रति विश्वास होना |

❖ **राष्ट्रीय बालिका दिवस** - 24 जनवरी 2017 को जयपुर में बागोल गाँव की जसोदा गमेती को बाल विवाह रोकने पर 1 दिन का मंत्री बनाकर सम्मानित किया गया व् साथ ही आंगनवाडी व् आशा सहयोगनी की कार्यकर्ताओं को सरकार की योजना के अनुसार मोबाइल और टेबलेट्स देने के कानून पर हस्ताक्षर कराया गया |

सम्मान- बागोल की जसोदा बनी एक दिन की मंत्री

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राजसमन्द जन विकास संस्थान की जसोदा गमेती और संस्थान को बाल- विवाह रोकने के उपलक्ष में गारिमा अवार्ड से सम्मानित किया गया |

❖ **महिला हक़, अधिकार एवं सम्मान के लिए पुलिस , प्रशासन को रेली निकाल कर ज्ञापन सोंपाना:** राजसमन्द महिला मंच, राजसमन्द जन विकास संस्थान , मानवाधिकार संगठन के संयुक्त तत्वाधान में इस वर्ष क्रमशः तीन रेली, एवं ज्ञापन दिए गये |

→ **डेल्टा मेघवाल** जिसको हॉस्टल में प्रताड़ित कर एवं संदेहस्पद अवस्था में मृत प्राप्त होने पर पुरे राजस्थान में उसकी मृत्यु की सी. बी. आई द्वारा जांच तथा अभियुक्तों को दंड देने के लिए महिला मंच की महिलाओं व् किशोरियों द्वारा 13.6.2016 को रेली निकाल का पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया |

महिलाओं ने रैली निकाल सौंपा ज्ञापन

नोखा में किशोरी की घटना का मामला

राजसमंद. बीकानेर के नोखा में सत्रह वर्षीय डेल्टा की हत्या के मामले में सीबीआई से जांच की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलक्टर को ज्ञापन दिया। महिला मंच व राजसमंद जन विकास संस्थान, महिला सलाह सुरक्षा केंद्र, जाग्रति परियोजना की कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली। रैली में महिला मंच की शकुंतला पामेचा, याकूब, रीटा पालीवाल, रिंकू परिहार, राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार संयोजक सोहन भाटी, ललिता शर्मा, यशोदा सोनी, उषा कंवर, शारदा खटीक, हीरा बाई, लाड मेहता, सुशीला खटीक, कमला रेगर आदि महिलाएं थी।

किशोरी के साथ घटना पर कलक्टर को ज्ञापन देती जाती महिलाएं। पत्रिका

महिलाएं बोलीं : हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते

उदयपुर, गुरुवार 14 अप्रैल, 2016 3

रैली निकालकर की सीबीआई जांच करवाने की मांग

राजसमंद | महिला मंच राजसमंद, जन विकास संस्थान, महिला सलाह सुरक्षा केंद्र, जागृति परियोजना एवं महिला सलाह सुरक्षा केंद्र की ओर से रैली निकाली गई। इस दौरान बीकानेर क्षेत्र के नोखा में बाड़मेर जिले के त्रिमोही गांव की 17 साल की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर पानी की टंकी में फेंकने के मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की।

रैली में संस्था संगठन की महिलाएं, जागृति परियोजना के किशोरी लड़के और लड़कियों के साथ ही सहयोगी सेवा संस्थान से याकूब, रिटा पालीवाल, जाग्रति परियोजना से रिंकू परिहार, राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार से सोहन भाटी, राजसमंद जन विकास संस्थान से ललिता शर्मा, यशोदा सोनी, उषा कुंवर सहित कई महिलाओं ने भाग लिया। रैली के बाद राजसमंद महिला मंच की संयोजिका शकुंतला पामेचा के नेतृत्व में ज्ञापन एडीएम ब्रजमोहन बैरवा को सौंपा गया।

राजसमंद। शहर में रैली निकालती [redacted] संस्थान की कार्यकर्ता।

→ **दिनांक 18.3.2016** को राजसमन्द के रेलमगरा ब्लाक की **ओड़ा पंचायत** के गाँव में एक वृद्ध महिला को **"डाकन"** कह कर कि **"तेरे कारण हमारा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है"** | गाँव के दो युवको द्वारा ओड़ा गाँव की वृद्ध महिला को पीट- पीट कर गाँव के बाजार के बीच में मार डाला गया | इसकी जानकारी मिलने के बाद महिला मंच व् उसके साथ जुड़ी अन्य संस्थाओं तेरापंथ महिला मंडल, विकल्प, मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा गाँव में बड़ी रेली निकाल कर सरपंच व् पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सोंपा गया | पुलिस अधीक्षक विष्णु कान्त जी द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा कोर्ट में पेश किया गया जहाँ दोनों व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी गयी है | गाँव में भी बड़ी बैठक द्वारा ग्रामवासियों को संबोधित किया गया |

पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए |

शृंगार धराया जाएगा

डायन बताकर वृद्धा से की मारपीट, गंभीर घायल

कांकरोली क्षेत्र के ओड़ा हजारिया की घटना, दो आरोपी देर रात गिरफ्तार, पीड़िता उदयपुर रेफर

निगेटिव न्यूज़

सिर्फ वही नकारात्मक खबर, जो आपको जानना जरूरी है

भास्कर न्यूज़ | राजसमंद

कांकरोली क्षेत्र के ओड़ा हजारिया में शनिवार को दो युवकों ने वृद्ध महिला को डायन बताकर घर में घुसकर बुरी तरह से मारपीट कर दी। जिससे महिला घायल हो गई। हालत गंभीर होने पर रविवार सुबह आरके हॉस्पिटल से उसे उदयपुर रेफर किया। कांकरोली पुलिस के मुताबिक यह घटना रेलमगरा तहसील के ओड़ा हजारिया निवासी नानी बाई (65) पत्नी नाना लाल पूर्बिया (गाडरी) के साथ हुई। नानी बाई अपनी पुत्रवधु पारसी देवी के साथ रहती है। शनिवार सुबह ओड़ा बस स्टैंड निवासी रमेशदास व प्रभुलाल पुत्र रूपलाल तेली ने टोना-टोटका करने का आरोप लगाते हुए वृद्धा के घर में घुसकर मारपीट की दी। कांकरोली पुलिस वृद्धा के भतीजे पिपली आचार्यान निवासी मोहनलाल पुत्र चंपा लाल पूर्बिया की रिपोर्ट पर राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015 की धारा 4 के तहत और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया।

उदयपुर . एमबी हॉस्पिटल में भर्ती नानी देवी।

कांकरोली क्षेत्र के ओड़ा हजारिया में डायन बताकर मारपीट करने वाले दोनों आरोपी वृद्धा को व्यापार ठप होने का दोषी मान रहे थे। आरोपियों को आंशका थी कि वृद्धा ने उसके व्यापार पर टोने-टोटके कर दिए जिससे उसका व्यापार ठप हो गया। रमेशदास टायर पंचर बनाने की दुकान में होटल चलाता है। वहीं प्रभुलाल तेली घाणी से तेल निकालने का काम करता है। दोनों आरोपियों का पिछले कई दिनों का व्यापार धीमा चलने लगा तो वृद्धा को जिम्मेदार मानने लगे। दोनों युवकों ने वृद्धा के साथ बुरी तरह से मारपीट करके उसे गंभीर घायल कर दिया। मारपीट के दौरान वृद्धा की पुत्रवधु ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया। लेकिन आरोपियों ने उसकी एक न सुनी और वृद्धा के साथ मारपीट करने लगे। इधर, देर रात पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

थुरावड़ मामले के बाद फिर शर्मसार करने वाली घटना

जिले में महिलाओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर वृद्धा को डायन बताकर मारपीट करने की घटना पर जिले को शर्मसार कर दिया। सितंबर 2014 में थुरावड़ में महिला को अर्द्ध नग्न करके गधे पर घुमाने वाली घटना विश्व स्तर पर काफी चर्चित रही। इसके बाद फिर से ओड़ा में वृद्ध महिला को डायन बताकर मारपीट की गई। दोनों आरोपियों ने वृद्धा को इतनी बुरी तरह से पीटा की वृद्धा उदयपुर अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच संघर्ष कर रही है।

राजसमंद । राजसमंद महिला मंच की ओर से ओडा गांव में निकाली गई रैली। फोटोः मुबारिक हुक्रिया

ग्राम पंचायत ओडा में जागरूकता बैठक

राजसमंद। ग्राम पंचायत ओडा में शुक्रवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले दिनों ओडा निवासी श्रीमती नानीबाई पूर्बिया को डायन का तानादेकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर उसकी हत्या करने की घटना की पुनरावृति न हो इस उद्देश्य को लेकर आयोजित कार्यक्रम में राजसमंद महिला मंच, राजसंमद जन विकास संस्थान, तेरापंथ महिला मण्डल कांकरांजी, मजदुर किसान शक्ति संगठन भीम उदयपुर से महिला अत्याचार विरोधी मंच, विकल्प संस्थान, एकल नारी संगठन सहित सैकडो महिलाओ द्वारा महिलाओं पर अत्याचार बन्द करो, डायन कहना बन्द करो आदि नारों के साथ गांव में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया।

प्रदर्शन कर महिलाएं बोलीं : ओड़ा मामले में देखने वाले भी बराबर के गुनहगार

मोही। ओड़ा में महिला की मौत को लेकर रैली निकालती महिलाएं।

मोही| ओंड़ा में पिछले दिनों डायन बताकर वृद्धा के साथ मारपीट कर हत्या कर देने के मामले में शुक्रवार को राजसमंद, उदयपुर, भीम से आई महिलाओं ने बैठक कर आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता उषा चौधरी ने बताया कि भगवान ने सबको एक माना हैं, तो फिर महिला पर अत्याचार क्यों होता है। महिलाओं के [illegible] है। अब महिलाएं ऐसे आरोप को सहन नहीं करेंगी।' उन्होंने कहा कि ओड़ा में महिला को डायन बताकर हत्या करने वाले आरोपियों के साथ घटनाक्रम को देखनें वाले भी बराबर के गुनहगार है।' चौधरी ने कहा कि घटना से पूरे गांव को सजा मिलनी चाहिए। इस पर ग्रामीणों ने कहा कि गांव से अलग क्षेत्र होने से हमें इसकी जानकारी नहीं हैं। हजारिया [illegible] बस स्टैंड पर

रेली निकाल कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए ।

→ **शराब बंद कार्यक्रम** : राजसमन्द जिले में 29.3.2016 को एक अभूतपूर्व कार्य हुआ । जिसके अंतर्गत जिले के भीम ब्लाक के काछबली पंचायत में वह की सरपंच गीता कुंवर द्वारा पूरी पंचायत में शराब बंदी कानून लागू किया गया । इसके लिए पंचायत में वोट डाले गये और आधि से अधिक जनता ने शराब बंदी करने के लिए वोट देकर अपनी पंचायत में महिलाओं को इस पीड़ा से राहत दिलवाई । पंचायत के इस मुद्दे पर लोगो को जागरूक करने के लिए एक माह

पहले से अभियान चलाया गया | अभियान में महिला मंच की महिलाओं ने भाग लिया और महिलाओं को वोट देने के लिए तैयार किया | मतदान के दिन ही रिजल्ट आ गया और ये महिलाओं की एतिहासिक जीत थी | जिसका वर्णन पुरे देश में प्रसारित हुआ |

राजस्थान पत्रिका की मुहिम को मिला मुकाम | 70.64 फीसदी ग्रामीणों ने किया मतदान

शराबखोरी के खिलाफ काछबली ने जीती जंग

शराब की दुकान बंद करने के लिए 95 फीसदी की "हां", छह प्रतिशत ने कहा "ना"

राजसमंद @ पत्रिका

patrika.com/city

भीम पंचायत समिति क्षेत्र के काछबली गांव में एक माह से जारी शराबबंदी की जंग आखिरकार जनता ने जीत ली है। इस जीत में राजस्थान पत्रिका भी अगुवा बना। यहां मंगलवार को हुए उत्साहपूर्ण मतदान में कुल 70.64 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। इसमें से 95 प्रतिशत ने शराब की दुकान बंद करने पर मुहर लगाई। राज्य में संभवतः यह पहला मौका है, जब किसी आम चुनाव की तरह शराबबंदी के लिए मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई। काछबली के अटल सेवा केंद्र में बने 3 बूथों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम पांच बजे तक चला। ग्रामीणों ने खासा उत्साह दिखाया। नौ वार्डों के कुल 2886 में से 2039 मतदाताओं ने वोट डाला। परिणाम ठीक 6 बजे घोषित हो गए। 1 हजार 937 लोगों ने हां के पक्ष में, जबकि 33 लोगों ने नहीं के विकल्प पर मुहर लगाई। यह तादाद प्रस्ताव और सत्यापन प्रक्रिया में शामिल हुए लोगों से भी काफी ज्यादा रही। कुल मतदान में 51 प्रतिशत मत दुकान बंद कराने के लिए जरूरी थे, जबकि काछबली के लोगों ने एकतरफा फैसला सुनाया।

काछबली में मंगलवार को शराबबंदी के लिए हुए मतदान के बाद परिणाम शराबबंदी के पक्ष में आने पर खुशी मनाते ग्रामीण। (इनसेट) बुजुर्ग महिला को वोट कराने ले जाते युवक। [illegible]

फैक्ट फाइल

कुल मत	प्रतिशत
2039	70.64
निरस्त	प्रतिशत
69	3.87
वैध	प्रतिशत
1970	96.61
हां	प्रतिशत
1937	94.99
ना	प्रतिशत
33	1.61

अब आगे क्या?

यहां शराब की दुकान बंद होना लगभग तय है। जिला प्रशासन के माध्यम से मतदान की रिपोर्ट राज्य सरकार व आबकारी विभाग को जाएगी। इसके बाद यहां से आबकारी निरीक्षक जिला आबकारी कार्यालय को निर्देश जारी करेगा कि काछबली में शराब की दुकान बंद की जाए। पूरी प्रक्रिया आबकारी नीति में शराबबंदी के प्रावधान के मुताबिक की गई।

पढ़ें शराबखोरी @ पेज 11
विस्तृत कवरेज @ पेज 6

→ राजसमन्द जन विकास संस्थान की महिलाओं द्वारा शराब का ठेका बंद कराने के लिए काच्छबली पंचायत में जाकर वह के लोगों को जागरूक किया |

आबकारी आयुक्त के नोटिस के बाद लोगों में रोष

फिर एकजुट, सीएम को भेजा ज्ञापन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

काछबली में अवैध बंदी के मामले में अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन देने जाते हुए। -पत्रिका

राजसमंद. शराबबंदी के बाद काछबली में अवैध शराब की तस्करी बढ़ने व हथकढ़ी शराब से लोगों की सेहत खतरे में पड़ने की आशंका लेकर आबकारी आयुक्त उदयपुर द्वारा काछबली सरपंच को नोटिस जारी करने के विरोध में मंगलवार को कई संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर ब्रजमोहन बैरवा को ज्ञापन दिया। जनमत फैसले को आबकारी विभाग बगैर मतदान के न तो दोबारा दुकान खोल सकता है और न ही ग्राम पंचायत को नोटिस जारी करने का अधिकार रखता है। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा गत माह काछबली पंचायत को नोटिस जारी कर फिर से शराब का ठेका शुरू करने के प्रस्ताव के विरोध में कई संगठन एकजुट हो गए। गांधी सेवा सदन, महिला मंच, राजस्थान प्रदेश आचार्यकुल, मेवाड़ कॉन्फ्रेंस, साहित्यकार परिषद्, रावत राजपूत कोथात सभा भीम, अणुव्रत भवन प्रबंध संस्थान, अणुव्रत समिति, श्री गंगानाथ सेवा एवं शोध संस्थान, राजसमन्द नगर विकास समिति, तेरापंथ युवक परिषद राजसमन्द के कार्यकर्ता जिला कलक्ट्री में एकत्रित हुए। फिर कलक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि शराबबंदी का निर्णय वैधानिक रूप से मतदान के जरिये हुआ, जिसे कानून कायदे के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा निरस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। काछबली व आस पास के गांवों के कोई शराब नहीं बिक रही। फिर अगर शिकायत मिलती है, तो आबकारी विभाग कार्रवाई करें। शराब तस्करी व आपूर्ति को नियंत्रित करने का सांविधिक दायित्व आबकारी विभाग का है। अगर विभाग कर्तव्यों का सजगता से पालन करें तो शराब तस्करी रुक सकती है। जनमत के आधार पर लिए गए शराबबंदी के निर्णय को वापस लेने का अधिकार आबकारी अधिनियम में नहीं है। इस दौरान काछबली सरपंच गीता देवी, डॉ. महेंद्र कर्णावट, जीतमल कच्छारा, कमर मेवाड़ी, शकुंतला पामेचा, भगवत शर्मा, सुनील हिंगड़, आबिद अली, गणपत धर्मावत, हजारीसिंह रावत, भूरसिंह रावत, वीरमसिंह रावत, शकुंतला रावत, अणछी देवी आदि थे।

महिलाएं बोलीं, काछबली में शराब का ठेका फिर शुरू करना आबकारी के अधिकार में नहीं

एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

भास्कर न्यूज़ | राजसमंद

राजसमंद. काछबली की महिलाएं एडीएम बृजमोहन बैरवा को ज्ञापन सौंपते हुए।

शराबमुक्त आदर्श गांव काछबली में देशी शराब का ठेका फिर शुरू करने के आबकारी विभाग के प्रस्ताव के विरोध में जिले की सार्वजनिक संस्थाओं ने मंगलवार को एडीएम ब्रजमोहन बैरवा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि आबकारी नीति के तहत दो-तीन दशक में राज्य सरकार ने गांव-गांव में शराब ठेके आवंटित कर दिए हैं। इससे गांवों की बाल पीढ़ी नशे का शिकार हो रहे हैं। युवा होते-होते शराब के आदी हो रहे हैं। शराब की लत ने घरों को उजाड़ दिया एवं आर्थिक दृष्टि से बदहाल कर दिया है। काछबली में 67.11 प्रतिशत मतदाताओं ने देशी शराब का ठेका हटाने के पक्ष में 29 मार्च 2016 को मतदान किया था। इसके बावजूद आबकारी विभाग जनमत के फैसले को राजस्व के लोभ एवं अवैध मदिरा के कारोबार में वृद्धि होने की दलील देकर दुकान पुनः शुरू करना चाहता है। ज्ञापन में बताया कि शराबबंदी के बाद काछबली में अपराधों में भारी कमी आई है। महिलाओं के साथ क्रूर व्यवहार की एक भी घटना नहीं हुई है और बालकों के हाथों से शराब छूटी है। बताया गया कि जनमत के आधार पर लिए ग्राम पंचायत के शराबबंदी के निर्णय को वापस लेने का अधिकार आबकारी अधिनियम में नहीं है। इस दौरान काछबली की सरपंच गीता देवी, अणुव्रत प्रवक्ता डॉ. महेंद्र कर्णावट, जीतमल कच्छारा, कमर मेवाड़ी, शकुंतला पामेचा, भगवत शर्मा, सुनील हिंगड़, आबिद अली, गणपत धर्मावत, हजारीसिंह रावत, भूरसिंह रावत, वीरमसिंह रावत, शकुंतला रावत, अणछी देवी, सीता देवी, गांधी सेवा सदन, महिला मंच, राजस्थान प्रदेश आचार्य कुल, मेवाड़ कॉन्फ्रेंस, राजस्थान साहित्यकार परिषद, रावत राजपूत कोथात सभा भीम, अणुव्रत भवन प्रबंध संस्थान, अणुव्रत समिति, श्री गंगानाथ सेवा एवं शोध संस्थान, राजसमंद नगर विकास समिति, तेयुप प्रतिनिधि थे।

हालात: तहसीलदार के निरीक्षण में ...

→ **गर्ल्स नॉट ब्राइड** : गर्ल्स नॉट ब्राइड जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है | ये संस्था किशोरियों के साथ बाल- विवाह रोकने हेतु कार्य कर रही है और इस वर्ष राजसमन्द जन विकास संस्थान भी गर्ल्स नॉट ब्राइड के साथ जुड़ गई है और बाल- विवाह रोकने के लिए अन्य क्षेत्र में कार्य कर रही है |